



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23052023-246002  
CG-MH-E-23052023-246002

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 338]  
No. 338]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 23, 2023/ज्येष्ठ 2, 1945  
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 23, 2023/JYAISHTHA 2, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुंबई, 23 मई, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ]  
(दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/130.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 के तहत प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा।
- ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2018 में, -
  - शब्द और चिह्न "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे) विनियम, 2014 [सेबी (शेयर बेस्ड एम्पलॉई बेनिफिट्स) रेग्यूलेशन्स, 2014]" जहाँ कहीं भी वे आए हों, उनके स्थान पर शब्द और चिह्न "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी फायदे और

स्वेट इक्विटी) विनियम, 2021 [सेबी (शेयर बेस्ड एम्पलॉई बेनिफिट्स एंड स्वेट इक्विटी) रेग्यूलेशन, 2021] आ जाएँगे।

- II. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में, खंड (धध) में, उप-खंड (ix) में, शब्दों “पेंशन निधि” से पहले, शब्द और चिह्न “पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 की धारा 3 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण से रजिस्टर” जोड़े जाएँगे।
- III. विनियम 26 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्न “इक्कीस दिनों की अवधि तक,” के बाद और शब्द “बोर्ड” से पहले, शब्द और चिह्न “निर्गमकर्ता (इश्युअर),” जोड़े जाएँगे।
- IV. विनियम 40 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात् :

#### “हामीदारी (अंडरराइटिंग)

40. (1) यदि आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) [जो बही-निर्माण प्रक्रिया (बुक बिल्डिंग प्रोसेस) के माध्यम से न लाया जाए] लाने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर) निर्गम में पूरी तरह से पैसा न लगने की दशा में (अल्प-अभिदान / अंडर-सब्सक्रिप्शन होने की दशा में) निर्गम की हामीदारी करवाना चाहता हो, तो उसे हामीदार (अंडरराइटर) के तौर पर कार्य करने के लिए बोर्ड से रजिस्टर मर्चेन्ट बैंकरो या स्टॉक दलालों के साथ हामीदारी संबंधी करार, प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले, करना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वे पहले से तय की गई कीमत [जो निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) से कम नहीं होगी] पर अधिकतम कितनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाएँगे (को सब्सक्राइब करेंगे) [फिर चाहे वे स्वयं पैसा लगाएँ या कहीं और से पैसा लगवाएँ (सब्सक्राइब करवाएँ)], और यदि ऐसा कोई हामीदारी संबंधी करार किया जाए तो उसकी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में अवश्य दी जाए।

(2) आरंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) [जो बही-निर्माण प्रक्रिया (बुक बिल्डिंग प्रोसेस) के माध्यम से न लाया जाए] लाने वाले निर्गमकर्ता (इश्युअर) को हामीदार (अंडरराइटर) के तौर पर कार्य करने के लिए बोर्ड से रजिस्टर मर्चेन्ट बैंकरो या स्टॉक दलालों के साथ हामीदारी संबंधी करार, प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले, करना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वे, आवेदनों को नामंजूर किए जाने के मामले में, पहले से तय की गई कीमत [जो निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) से कम नहीं होगी] पर कितनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाएँगे (को सब्सक्राइब करेंगे) [फिर चाहे वे स्वयं पैसा लगाएँ या कहीं और से पैसा लगवाएँ (सब्सक्राइब करवाएँ)], और यदि ऐसा कोई हामीदारी संबंधी करार किया जाए तो उसकी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में अवश्य दी जाए।

(3) यदि निर्गमकर्ता बही-निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाता है, तो ऐसे में:

(क) निर्गम (इश्यू) की हामीदारी अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) और सिंडीकेट सदस्य (सदस्यों) द्वारा की जाएगी:

परंतु यह कि शुद्ध प्रस्ताव (नेट ऑफर) के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत [जिसे विनियम 6 के उप-विनियम (2) में पात्रता के संबंध में निर्धारित शर्तों का पालन करने के प्रयोजनार्थ अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाईड इंस्टिट्यूशनल बायर) को अनिवार्य रूप से आबंटित किए जाने का प्रस्ताव हो] की हामीदारी नहीं की जाएगी।

(ख) निर्गमकर्ता (इश्युअर) को अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) और सिंडीकेट सदस्य (सदस्यों) के साथ हामीदारी संबंधी करार, प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले, करना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वे, बोलियों को नामंजूर किए जाने के मामले में, किस कीमत [जो निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) से कम नहीं होगी] पर कितनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाएँगे (को सब्सक्राइब करेंगे) [फिर चाहे वे स्वयं पैसा लगाएँ या कहीं और से पैसा लगवाएँ (सब्सक्राइब करवाएँ)], और यदि ऐसा कोई हामीदारी संबंधी करार किया जाए तो उसकी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में अवश्य दी जाए।

(ग) यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) निर्गम में पूरी तरह से पैसा न लगने की दशा में (अल्प-अभिदान / अंडर-सब्सक्रिप्शन होने की दशा में) निर्गम की हामीदारी करवाना चाहता हो, तो उसे हामीदार (अंडरराइटर) के तौर पर कार्य करने के लिए अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) और सिंडीकेट सदस्य (सदस्यों) के साथ हामीदारी संबंधी करार, प्रारंभिक (रेड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले, करना होगा, जिसमें

यह उल्लेख करना होगा कि वे किस कीमत [जो निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) से कम नहीं होगी] पर अधिकतम कितनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाएंगे (को सब्सक्राइब करेंगे) [फिर चाहे वे स्वयं पैसा लगाएँ या कहीं और से पैसा लगवाएँ (सब्सक्राइब करवाएँ)], और यदि ऐसा कोई हामीदारी संबंधी करार किया जाए तो उसकी जानकारी प्रारंभिक (रेड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस में अवश्य दी जाए।

(घ) यदि सिंडीकेट सदस्य हामीदारी पूरी न कर पाए (पाएँ), तो ऐसे में अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) को हामीदारी पूरी करनी होगी।

(ङ) अग्रणी प्रबंधक और सिंडीकेट सदस्य केवल हामीदारी पूरी करने के लिए निर्गम (इश्यू) में पैसा लगाएंगे।

(च) जिस निर्गम की हामीदारी की जा चुकी हो, उस प्रत्येक निर्गम (इश्यू) के मामले में, अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) को कम से कम उतनी हामीदारी अवश्य करनी होगी, जितनी हामीदारी करने की बात भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 में कही गई है।

(छ) जहाँ निर्गम की हामीदारी की जानी हो, वहाँ कम से कम उतनी हामीदारी अवश्य की जाए जितना अभिदान (सब्सक्रिप्शन) करना जरूरी हो।”

- V. विनियम 59 में, उप-विनियम (9) में, शब्दों और चिह्न “इक्कीस दिनों की अवधि तक,” के बाद और शब्द “बोर्ड” से पहले, शब्द और चिह्न “निर्गमकर्ता (इश्युअर),” जोड़े जाएंगे।
- VI. विनियम 72 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्न “इक्कीस दिनों की अवधि तक,” के बाद और शब्द “बोर्ड” से पहले, शब्द और चिह्न “निर्गमकर्ता (इश्युअर),” जोड़े जाएंगे।
- VII. विनियम 124 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्न “इक्कीस दिनों की अवधि तक,” के बाद और शब्द “बोर्ड” से पहले, शब्द और चिह्न “निर्गमकर्ता (इश्युअर),” जोड़े जाएंगे।
- VIII. विनियम 136 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्:

#### “हामीदारी (अंडरराइटिंग)

136. (1) यदि बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव [जो बही-निर्माण प्रक्रिया (बुक बिल्डिंग प्रोसेस) के माध्यम से न लाया जाए] लाने वाला निर्गमकर्ता (इश्युअर) निर्गम में पूरी तरह से पैसा न लगने की दशा में (अल्प-अभिदान / अंडर-सब्सक्रिप्शन होने की दशा में) निर्गम की हामीदारी करवाना चाहता हो, तो उसे हामीदार (अंडरराइटर) के तौर पर कार्य करने के लिए बोर्ड से रजिस्टर मर्चेन्ट बैंकों या स्टॉक दलालों के साथ हामीदारी संबंधी करार, प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले, करना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वे पहले से तय की गई कीमत [जो निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) से कम नहीं होगी] पर अधिकतम कितनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाएंगे (को सब्सक्राइब करेंगे) [फिर चाहे वे स्वयं पैसा लगाएँ या कहीं और से पैसा लगवाएँ (सब्सक्राइब करवाएँ)], और यदि ऐसा कोई हामीदारी संबंधी करार किया जाए तो उसकी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में अवश्य दी जाए।

(2) बाद वाला सार्वजनिक प्रस्ताव [जो बही-निर्माण प्रक्रिया (बुक बिल्डिंग प्रोसेस) के माध्यम से न लाया जाए] लाने वाले निर्गमकर्ता (इश्युअर) को हामीदार (अंडरराइटर) के तौर पर कार्य करने के लिए बोर्ड से रजिस्टर मर्चेन्ट बैंकों या स्टॉक दलालों के साथ हामीदारी संबंधी करार, प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले, करना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वे, आवेदनों को नामंजूर किए जाने के मामले में, पहले से तय की गई कीमत [जो निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) से कम नहीं होगी] पर कितनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाएंगे (को सब्सक्राइब करेंगे) [फिर चाहे वे स्वयं पैसा लगाएँ या कहीं और से पैसा लगवाएँ (सब्सक्राइब करवाएँ)], और यदि ऐसा कोई हामीदारी संबंधी करार किया जाए तो उसकी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में अवश्य दी जाए।

(3) यदि निर्गमकर्ता बही-निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से सार्वजनिक निर्गम (पब्लिक इश्यू) लाता है, तो ऐसे में:

(क) निर्गम (इश्यू) की हामीदारी अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) और सिंडीकेट सदस्य (सदस्यों) द्वारा की जाएगी:

परंतु यह कि शुद्ध प्रस्ताव (नेट ऑफर) के कम से कम पचहत्तर प्रतिशत [जिसे विनियम 103 के उप-विनियम (2) में पात्रता के संबंध में निर्धारित शर्तों का पालन करने के प्रयोजनार्थ अर्हित संस्थागत क्रेताओं (क्वालिफाईड इंस्टिट्यूशनल बायर) को अनिवार्य रूप से आबंटित किए जाने का प्रस्ताव हो] की हामीदारी नहीं की जाएगी।

(ख) निर्गमकर्ता (इश्युअर) को अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) और सिंडीकेट सदस्य (सदस्यों) के साथ हामीदारी संबंधी करार, प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले, करना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वे, बोलियों को नामंजूर किए जाने के मामले में, किस कीमत [जो निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) से कम नहीं होगी] पर कितनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाएंगे (को सब्सक्राइब करेंगे) [फिर चाहे वे स्वयं पैसा लगाएँ या कहीं और से पैसा लगवाएँ (सब्सक्राइब करवाएँ)], और यदि ऐसा कोई हामीदारी संबंधी करार किया जाए तो उसकी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में अवश्य दी जाए।

(ग) यदि निर्गमकर्ता (इश्युअर) निर्गम में पूरी तरह से पैसा न लगने की दशा में (अल्प-अभिदान / अंडर-सब्सक्रिप्शन होने की दशा में) (निर्गम की हामीदारी करवाना चाहता हो, तो उसे हामीदार (अंडरराइटर) के तौर पर कार्य करने के लिए अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) और सिंडीकेट सदस्य (सदस्यों) के साथ हामीदारी संबंधी करार, प्रारंभिक (रेड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने से पहले, करना होगा, जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वे किस कीमत [जो निर्गम कीमत (इश्यू प्राइस) से कम नहीं होगी] पर अधिकतम कितनी निर्धारित प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) में पैसा लगाएंगे (को सब्सक्राइब करेंगे) [फिर चाहे वे स्वयं पैसा लगाएँ या कहीं और से पैसा लगवाएँ (सब्सक्राइब करवाएँ)], और यदि ऐसा कोई हामीदारी संबंधी करार किया जाए तो उसकी जानकारी प्रारंभिक (रेड हैरिंग) प्रॉस्पेक्टस में अवश्य दी जाए।

(घ) यदि सिंडीकेट सदस्य हामीदारी पूरी न कर पाए (पाएँ), तो ऐसे में अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) को हामीदारी पूरी करनी होगी।

(ङ) अग्रणी प्रबंधक और सिंडीकेट सदस्य केवल हामीदारी पूरी करने के लिए निर्गम (इश्यू) में पैसा लगाएंगे।

(च) जिस निर्गम की हामीदारी की जा चुकी हो, उस प्रत्येक निर्गम (इश्यू) के मामले में, अग्रणी प्रबंधक (प्रबंधकों) को कम से कम उतनी हामीदारी अवश्य करनी होगी, जितनी हामीदारी करने की बात भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (मर्चेन्ट बैंककार) विनियम, 1992 में कही गई है।

(छ) जहाँ निर्गम की हामीदारी की जानी हो, वहाँ कम से कम उतनी हामीदारी अवश्य की जाए जितना अभिदान (सब्सक्रिप्शन) करना जरूरी हो।”

IX. विनियम 187 में, उप-विनियम (1) में, शब्दों और चिह्न “इक्कीस दिनों की अवधि तक,” के बाद और शब्द “बोर्ड” से पहले, शब्द और चिह्न “निर्गमकर्ता (इश्युअर),” जोड़े जाएंगे।

X. विनियम 246 में, उप-विनियम (4) में, शब्दों “किए जाने की तारीख से” के बाद और शब्द “बोर्ड” से पहले, शब्द और चिह्न “निर्गमकर्ता (इश्युअर),” जोड़े जाएंगे।

XI. विनियम 293 में,

(i) शब्दों “सूचीबद्ध निर्गमकर्ता” के बाद और शब्दों “अपने सदस्यों को” से पहले, शब्द “अपने बोनस निर्गम की घोषणा करने और” जोड़े जाएंगे।

(ii) खंड (क) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“(कक) उसने बोनस शेयर जारी करने से पहले निर्गमकर्ता द्वारा जारी की गई सभी प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) [कर्मचारी स्टॉक विकल्प स्कीम (एम्पलॉई स्टॉक ऑप्शन स्कीम) के अनुसार कर्मचारियों को प्रदान किए गए ऑप्शन और संपरिवर्तनीय प्रतिभूतियों (कन्वर्टिबल सिक्यूरिटीज़)

को छोड़कर] को सूचीबद्ध (लिस्ट) करने और उनमें ट्रेडिंग के संबंध में स्टॉक एक्सचेंजों से मंजूरी प्राप्त कर ली हो;”

XII. विनियम 294 में, खंड (5) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“(6) बोनस निर्गम (इश्यू) के अंतर्गत शेयरों का आबंटन केवल डीमैट रूप में ही किया जाएगा।”

XIII. अनुसूची-VI में,

(i) भाग-क में,

(क) खंड (10) में, उप-खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्:

**“(क) उद्योग के बारे में संक्षिप्त जानकारी**

यदि किसी उद्योग की रिपोर्ट का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में दिया जाता है, तो उस उद्योग की पूरी रिपोर्ट अहम दस्तावेज के रूप में दी जाएगी।”

(ख) खंड 18 में, उप-खंड (3) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“परंतु यह कि महत्वपूर्ण कॉण्ट्रैक्ट और अहम दस्तावेज निरीक्षण हेतु ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।”

(ii) भाग-ख में, खंड XXIII में, उप-खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“परंतु यह कि महत्वपूर्ण कॉण्ट्रैक्ट निरीक्षण हेतु ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।”

(iii) भाग-ख-1 में,

(क) खंड 11 में, उप-खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित उप-खंड आ जाएगा, अर्थात्:

**“(क) उद्योग के बारे में संक्षिप्त जानकारी**

यदि किसी उद्योग की रिपोर्ट का संक्षिप्त ब्यौरा प्रस्ताव दस्तावेज (ऑफर डॉक्यूमेंट) में दिया जाता है, तो उस उद्योग की पूरी रिपोर्ट अहम दस्तावेज के रूप में दी जाएगी।”

(ख) खंड 22 में, उप-खंड (ख) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

“परंतु यह कि महत्वपूर्ण कॉण्ट्रैक्ट निरीक्षण हेतु ऑनलाइन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे।”

XIV. अनुसूची-XIII में, भाग-क में,

(i) खंड (3) में, उप-खंड (ख) में, शब्दों “सदस्य प्रॉस्पेक्टस” के स्थान पर, शब्द और चिह्न “सदस्य, यथास्थिति, प्रॉस्पेक्टस या प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस (रेड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस)” आ जाएंगे।

(ii) खंड (3) में, उप-खंड (ग) में, शब्दों “और प्रॉस्पेक्टस” के स्थान पर, शब्द और चिह्न “और, यथास्थिति, प्रॉस्पेक्टस या प्रारंभिक प्रॉस्पेक्टस (रेड हैरिंग प्रॉस्पेक्टस)” आ जाएंगे।

(iii) खंड (10) में, उप-खंड (ट) में,

(क) शब्दों “अग्रणी प्रबंधकों की सहयोगी एंटिटियों द्वारा प्रायोजित विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक” के स्थान पर, शब्द “अग्रणी प्रबंधक के सहयोगी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक” आ जाएंगे।

(ख) शब्दों और चिह्न “कार्यालयों से भिन्न” के बाद, शब्द “या अग्रणी प्रबंधक की सहयोगी एंटिटियों द्वारा प्रायोजित पेंशन निधियों” जोड़े जाएंगे।

बबीता रायडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./119/2023-24]



- (द) 13 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/45, द्वारा
- (ध) 26 अक्टूबर, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2021, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/52, द्वारा
- (न) 14 जनवरी, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/63, द्वारा
- (प) 27 अप्रैल, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/82, द्वारा
- (फ) 25 जुलाई, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/90, द्वारा
- (ब) 21 नवम्बर, 2022 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (चौथा संशोधन) विनियम, 2022, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2022/107, द्वारा
- (भ) 13 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड [पूँजी का निर्गमन (इश्यू) और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/114, द्वारा
- (म) 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा संशोधित हुए थे।

## SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

### NOTIFICATION

Mumbai, the 23rd May 2023

### SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

**No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/130.**—In exercise of the powers conferred under section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2023.
2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
3. In the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, -
  - I. the words “Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014” wherever they appear, shall be substituted with the words “Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits and Sweat Equity) Regulations, 2021”.
  - II. in regulation 2, in sub-regulation (1), in clause (ss), in sub-clause (ix), after the words “a pension fund with minimum corpus of twenty five crore rupees”, the words “registered with the Pension Fund Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act, 2013” shall be inserted.
  - III. in regulation 26, in sub-regulation (1), after the words “by hosting it on the websites of” and before the words “the Board”, the words and symbol “the issuer,” shall be inserted.
  - IV. regulation 40 shall be substituted with the following regulation, namely:

**“Underwriting**

40. (1) If the issuer making an initial public offer, other than through the book building process, desires to have the issue underwritten to cover under-subscription in the issue, it shall, prior to the filing of the prospectus, enter into an underwriting agreement with the merchant bankers or stock brokers registered with the Board to act as underwriters, indicating therein the maximum number of specified securities they shall subscribe to, either by themselves or by procuring subscription, at a predetermined price which shall not be less than the issue price, and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the prospectus.

(2) The issuer making an initial public offer, other than through the book building process, shall, prior to the filing of the prospectus, enter into an underwriting agreement with the merchant bankers or stock brokers registered with the Board to act as underwriters, indicating therein the number of specified securities they shall subscribe to on account of rejection of applications, either by themselves or by procuring subscription, at a predetermined price which shall not be less than the issue price, and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the prospectus.

(3) If the issuer makes a public issue through the book building process:

(a) the issue shall be underwritten by lead manager(s) and syndicate member(s):

Provided that at least seventy five per cent. of the net offer proposed to be compulsorily allotted to qualified institutional buyers for the purpose of compliance of the eligibility conditions specified in sub-regulation (2) of regulation 6 shall not be underwritten.

(b) the issuer shall, prior to the filing of the prospectus, enter into an underwriting agreement with the lead manager(s) and syndicate member(s), indicating therein the number of specified securities they shall subscribe to on account of rejection of bids, either by themselves or by procuring subscription, at a price which shall not be less than the issue price, and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the prospectus.

(c) if the issuer desires to have the issue underwritten to cover under-subscription in the issue, it shall, prior to the filing of the red herring prospectus, enter into an underwriting agreement with the lead manager(s) and syndicate member(s) to act as underwriters, indicating therein the maximum number of specified securities they shall subscribe to, either by themselves or by procuring subscription, at a price which shall not be less than the issue price, and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the red herring prospectus.

(d) if the syndicate member(s) fail to fulfil their underwriting obligations, the lead manager(s) shall fulfil the underwriting obligations.

(e) the lead manager(s) and syndicate member(s) shall not subscribe to the issue in any manner except for fulfilling their underwriting obligations.

(f) in case of every underwritten issue, the lead manager(s) shall undertake minimum underwriting obligations as specified in the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992.

(g) where the issue is required to be underwritten, the underwriting obligations should be at least to the extent of minimum subscription.”

- V. in regulation 59C, in sub-regulation (9), after the words “by hosting it on the websites of” and before the words “the Board”, the words and symbol “the issuer,” shall be inserted.
- VI. in regulation 72, in sub-regulation (1), after the words “by hosting it on the websites of” and before the words “the Board”, the words and symbol “the issuer,” shall be inserted.
- VII. in regulation 124, in sub-regulation (1), after the words “by hosting it on the websites of” and before the words “the Board”, the words and symbol “the issuer,” shall be inserted.
- VIII. regulation 136 shall be replaced with the following regulation, namely:

**“Underwriting**

136. (1) If the issuer making a further public offer, other than through the book building process, desires to have the issue underwritten to cover under-subscription in the issue, it shall, prior to the filing of the prospectus, enter into an underwriting agreement with the merchant bankers or stock brokers registered with the Board to act as underwriters, indicating therein the maximum number of specified securities they shall subscribe to, either by themselves or by procuring subscription, at a predetermined price which shall not be less than the issue price, and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the prospectus.

(2) The issuer making a further public offer, other than through the book building process, shall, prior to the filing of the prospectus, enter into an underwriting agreement with the merchant



bankers or stock brokers registered with the Board to act as underwriters, indicating therein the number of specified securities they shall subscribe to on account of rejection of applications, either by themselves or by procuring subscription, at a predetermined price which shall not be less than the issue price, and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the prospectus.

(3) If the issuer makes a public issue through the book building process:

(a) the issue shall be underwritten by lead manager(s) and syndicate member(s):

Provided that at least seventy five per cent. of the net offer proposed to be compulsorily allotted to qualified institutional buyers for the purpose of compliance of the eligibility conditions specified in sub-regulation (2) of regulation 103 shall not be underwritten.

(b) the issuer shall, prior to the filing of the prospectus, enter into an underwriting agreement with the lead manager(s) and syndicate member(s), indicating therein the number of specified securities they shall subscribe to on account of rejection of bids, either by themselves or by procuring subscription, at a price which shall not be less than the issue price, and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the prospectus.

(c) if the issuer desires to have the issue underwritten to cover under-subscription in the issue, it shall, prior to the filing of the red herring prospectus, enter into an underwriting agreement with the lead manager(s) and syndicate member(s) to act as underwriters, indicating therein the maximum number of specified securities they shall subscribe to, either by themselves or by procuring subscription, at a price which shall not be less than the issue price, and shall disclose the fact of such underwriting agreement in the red herring prospectus.

(d) if the syndicate member(s) fail to fulfil their underwriting obligations, the lead manager(s) shall fulfil the underwriting obligations.

(e) the lead manager(s) and syndicate member(s) shall not subscribe to the issue in any manner except for fulfilling their underwriting obligations.

(f) in case of every underwritten issue, the lead manager(s) shall undertake minimum underwriting obligations as specified in the Securities and Exchange Board of India (Merchant Bankers) Regulations, 1992.

(g) where the issue is required to be underwritten, the underwriting obligations should be at least to the extent of minimum subscription.”

IX. in regulation 187, in sub-regulation (1), after the words “by hosting it on the websites of” and before the words “the Board”, the words and symbol “the issuer,” shall be inserted.

X. in regulation 246, in sub-regulation (4), after the words “on the websites of” and before the words “the Board”, the words and symbol “the issuer,” shall be inserted.

XI. in regulation 293,

(i) after the words “issuer shall be eligible to” and before the words and symbol “issue bonus shares to its members if:”, the words “announce its bonus issue and” shall be inserted.

(ii) after clause (a), the following clause shall be inserted namely:

“(aa) it has received approval from the stock exchanges for listing and trading of all the securities, excluding options granted to employees pursuant to an employee stock option scheme and convertibles securities, issued by the issuer prior to the issuance of bonus shares.”

XII. in regulation 294, after clause (5), the following clause shall be inserted namely:

“(6) The allotment of shares in a bonus issue shall be made only in the dematerialised form.”

XIII. in Schedule VI,

(i) in Part-A,

(a) in clause 10, sub-clause (A) shall be substituted with the following, namely:

**“(A) Industry Overview**

If extract of any industry report is disclosed in the offer document, the complete industry report shall be provided as part of the material documents.”

(b) in clause 18, in sub-clause (3), the following proviso shall be inserted, namely:

“Provided that the material contracts and material documents shall also be made available for inspection through online means”

- (ii) in Part B, in clause XXIII, in sub-clause (B), the following proviso shall be inserted, namely:  
 “Provided that the material contracts shall also be made available for inspection through online means.”

- (iii) in Part-B-1,

- (a) in clause 11, sub-clause (A) shall be replaced with the following, namely:

**“(A) Industry Overview**

If extract of any industry report is disclosed in the offer document, the complete industry report shall be provided as part of the material documents.”

- (b) in clause 22, in sub-clause (B), the following proviso shall be inserted, namely:

“Provided that the material contracts shall also be made available for inspection through online means.”

- XIV. in Schedule XIII, in Part A,

- (i) in clause 3, in sub-clause (b), after the words “prior to filing of the prospectus”, the words “or the red herring prospectus, as the case may be” shall be inserted.
- (ii) in clause 3, in sub-clause (c), after the words “printed in the prospectus” and before the words “before it is filed with the Registrar of Companies”, the words “or the red herring prospectus, as the case may be” shall be inserted.
- (iii) in clause 10, in sub-clause (k),
- (a) after the words “corporate bodies and family offices” and before the words “which are associate of the lead manager”, the words “sponsored by the entities” shall be deleted.
- (b) before symbol and word “)nor”, the words “or pension funds sponsored by entities which are associate of the lead manager” shall be inserted.

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./119/2023-24]

**Footnotes:**

1. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was published in the Gazette of India on September 11, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/31.
2. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 was subsequently amended on -
  - (a) December 31, 2018 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2018/57.
  - (b) March 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/05.
  - (c) April 5, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/08.
  - (d) July 29, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/29.
  - (e) September 23, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/35.
  - (f) December 06, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fifth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/42.

- (g) December 26, 2019 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Sixth Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2019/47.
- (h) January 01, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Seventh Amendment) Regulations, 2019, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/01.
- (i) April 17, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10.
- (j) May 08, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/11.
- (k) June 16, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/17.
- (l) June 22, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/18.
- (m) July 1, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/21.
- (n) September 28, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2020, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/31.
- (o) January 8, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/03.
- (p) May 5, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/18.
- (q) August 3, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30.
- (r) August 13, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/45.
- (s) October 26, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2021, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/52.
- (t) January 14, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2022, vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/ 2022/ 63.
- (u) April 27, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Second Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/82.
- (v) July 25, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Third Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/90.
- (w) November 21, 2022 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Fourth Amendment) Regulations, 2022 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2022/107.
- (x) January 13, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/114.
- (y) February 7, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121.